अत्यावश्यक/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकःप. 13(1)प्र0सु0/सम0/अनु–1/2008/पार्ट   जयपुर, दिनांकः 31.10.2011

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, संबंधित विभाग।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण
4. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, संबंधित विभाग/निगम/बोर्ड/निकाय।

परिपत्र

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 राज्य में दिनांक **14 नवम्बर, 2011** से प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप शासकीय विभागों में आम जनता को प्रदत्त वांछित सेवाओं की निर्धारित समय सीमा में उपलब्धि हो सकेगी। परिणाम स्वरूप राजस्थान भी उन राज्यों में शामिल हो जायेगा जहां कानूनी तय समय सीमा में आम जनता को सेवा प्रदान करने की गारंटी दी गई हैं।

राज्य सरकार ने इस अधिनियम का पूर्ण प्रचार–प्रसार करने तथा इसे सम्पूर्ण राज्य में एक साथ क्रियाशील करने का निर्णय लिया है। अतएवं **दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय जिला प्रभारी मंत्रिगण की अध्यक्षता में प्रातः 10.30 से मध्यान्ह 2.30 बजे तक एक सम्मेलन आयोजित किया जावें। इस संबंध में निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावें :–**

1. दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को अधिनियम लागू होने की औपचारिक घोषणा की जायें।
2. जिले के सभी माननीय सांसद/विधायक, माननीय मंत्री, संसदीय सचिव, जिला प्रमुख, जन प्रतिनिधियों को सम्मेलन में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जावें।
3. सम्मेलन में जिले में स्थित सभी संबंधित विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, तहसील, खण्ड एवं जिला स्तर के अधिकारी, पटवारी, ग्राम सेवक को भी शामिल किया जावे।
4. प्रमुख स्वयं सेवी संगठन(NGOs), प्रमुख मिडिया प्रतिनिधियों (selected persons) को भी आमंत्रित किया जाय।
5. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी अपने जिले में आयोजित होने वाले उक्त सम्मेलन में उपस्थित रह कर अधिनियम से संबंधित दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे तथा सम्मेलन से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं किया जाना सुनिश्चित करें। यथा –
   (क) उपयुक्त स्थान का चयन करें।
   (ख) पण्डाल, बिजली, पानी, माईक इत्यादि की व्यवस्था।
   (ग) सभी संबंधितों को यथा समय पूर्व सूचना देना तथा यह सुनिश्चित करना कि इसकी जानकारी उन्हें हो गई है।

इस विभाग द्वारा सभी जिला कलक्टरों को अधिनियम, नियमों, अधिसूचित सेवाओ एवं संबंधित नोटिफिकेशन की प्रतियां ई–मेल कर दी है तथा संबंधित विभागों को अलग से भी उपलब्ध करवाई जा रही है। कृपया संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को इनकी प्रतियां उपलब्ध कराई जावें।

राजस्थान सरकार की तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की वैवसाइट पर भी अधिनियम, सेवाएं, नियम आदि की प्रतियां उपलब्ध करा दी गई है।

सम्मेलन से पूर्व इस अधिनियम/प्रावधानों से संबंधित एक बुकलेट भी जिलों में भिजवाई जायेगी जिसका वितरण संबंधित अधिकारियां/कर्मचारियों को तत्समय किया जा सकें।

संलग्न परिशिष्ट–1 व 2 में सम्मेलन का प्रस्तावित कार्यक्रम, रूपरेखा एवं सम्मेलन में दी जाने वाली जानकारी के प्रमुख बिन्दु जिन पर प्रस्तुतीकरण दिया जाना है, भिजवाये जा रहें है।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त व्यवस्थाएं तथा इस महत्वपूर्ण अधिनियम को पूरी संवेदनशीलता, प्रचार–प्रसार से लागू करवाना सुनिश्चित करावें।

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
4. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, संबंधित विभाग।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, संबंधित बोर्ड/मण्डल।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त नगर निगम, नगर पालिका/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय (संबंधित प्रशासनिक विभाग और विभागाध्यक्ष के माध्यम से)
8. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना एवं जन संपर्क विभाग को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित।

(डा0 आर.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव

सम्मेलन में दी जाने वाली जानकारी के बिन्दु

- अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी।
- नियमों की जानकारी
- अधिनियम के अधीन ली गई सेवाओं एवं नियत समय सीमा की जानकारी।
- सेवाओं के संदर्भ में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, औपचारिकताओं की आवश्यक प्रपत्र एवं वांछित दस्तावेजों की जानकारी।
- प्रार्थना पत्र लेने, रजिस्टर करने, अभिस्वीकृति प्रदान करने की जानकारी
- सेवाओं, अपील हेतु कोई शुल्क नहीं लिये जाने की जानकारी।
- संबंधित विभागों को उनके विभाग से संबंधित सेवाओं के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं आदि के संबंध मे चैकलिस्ट तैयार करने, पदाभिहित अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों आदि पर फोल्डर तैयार कर प्रसारित करने की कार्यवाही के संबंध में जानकारी।
- सेवाओं की प्राप्ति हेतु जिन सेवाओं पर ऑन लाईन आवेदन लेने की व्यवस्था है, उसकी जानकारी।
- अधिनियम, नियम, नोटिफिकेशन, निर्देश पुस्तिका एवं अन्य संबंधित सामग्री वैवसाइट पर उपलब्ध होने की जानकारी।
- संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, के प्रशिक्षण, आमुखीकरण कार्यशालाओं की जानकारी।
- अधिनियम की धारा–10 के तहत जारी नियमों के नियम–20 पर कार्यवाही हेतु समुचित प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण आदि व्यवस्थाओं की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी।
- सम्मेलन में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवी संगठनों से अधिनियम को सफल बनाने, एवं आपसी सहयोग से कार्य कर विसंगतियां दूर करने की अपील।
- अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विभागीय सेवाओं से संबंधित फोल्डर, पम्पलेट, साहित्य आदि के वितरण की व्यवस्था।

जिला मुख्यालय पर दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को आयोजित सम्मेलन की रूपरेखा

दिनांक	समय	उद्‌बोधक	उद्‌बोधन का विषय
14.11.2011	10.30. प्रातः	—	सम्मेलन का शुभारम्भ
14.11.2011	10.30 से 10.45 बजे तक	—	स्वागत कार्यक्रम
14.11.2011	10.45 से 11.15 बजे तक	जिला कलक्टर	अधिनियम के प्रभावशील होने, क्रियान्वयन के संबंध में जिले में की गई कार्यवाही एवं भावी कार्यक्रम के बारे में अवगत कराना।
14.11.2011	11.15 से 11.45 बजे तक	जिला प्रभारी अधिकारी	अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के स्तर पर जारी आदेशों/नोटिफिकेशनों, विभाग जिनकी सेवा अधिनियम में शामिल की गई है, की जानकारी तथा वैधानिक स्थिति पर उद्‌बोधन
14.11.2011	11.45 से 12.15 बजे तक	जिला प्रमुख	पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका, नेतृत्व, एवं सहयोग पर उद्‌बोधन
14.11.2011	12.15 से 01.15 बजे तक	प्रश्न काल	प्रश्न काल में जिला कलक्टर/प्रभारी सचिव एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण, उनके विभाग से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देगें तथा विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा आवश्यक निर्देश प्रदान करेगें।
14.11.2011	01.15 से 02.00 बजे तक	जिला प्रभारी मंत्री का उद्‌बोधन	राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के संकल्प पर उद्‌बोधन तथा अधिनियम प्रवृत होने की घोषणा
14.11.2011	02.00 से 2.30 बजे तक	सामग्री वितरण	जिला कलक्टर/संबंधित विभाग प्रतियों का वितरण करायेगें।

* आवश्यकता होने पर अपरान्ह 3.00 से 4.00 बजे तक एक और सत्र रखा जा सकता है।